



# केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

Under Ministry of Education, Govt. of India

मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi

Website : www.kvsangathan.nic.in

E-mail : jcp.kvs@gmail.com / दूरभाष / Tel. : 91-11-26858565

18. संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

फा.11029-3/2018-केवीएस(प्रशासन. I)Vol-II | 674

दिनांक : 02.11.2020

## कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय हायुलियांग, जिला अँजाव (संसदीय क्षेत्र -अरुणाचल पूर्व) उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूँकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय हायुलियांग, जिला अँजाव, अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय विद्यालय हायुलियांग, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हायुलियांग के पास, पोस्ट - अँजाव, थाना - खुपा, जिला - अँजाव, अरुणाचल प्रदेश, पिन: 792104

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

( डॉ. ई. प्रभाकर )

संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण/कार्मिक)

### वितरण:

- माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्री एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं के वरिष्ठ पी.पी.एस.

3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) शिक्षा मंत्री एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, केविसं क्षे . का. **तिनसुकिया** को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के. वि. को संचालित करें।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, (शिक्षा) **अरुणाचल प्रदेश** सरकार ।
9. उपायुक्त जिला अँजाव, हवाई, अरुणाचल प्रदेश 792104 को सूचनार्थ।
10. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके नोट संख्या एफ 110111/420/2019-केविस (मु)/कार्य दिनांक 15.10.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
12. सहायक आयुक्त (स्था. II स्था. II & III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।
13. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
14. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
15. निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
16. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फाइल।

\*\*\*\*\*